

Sl No. 260

[१०८-ग्र नियम प्रेषण मंत्रालय]



प्र० २६
(नियम ४क देखिए)

30 अप्र० कालिका (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड/बैचाग दस्ता (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, श्री पुरुषों पुत्र/पुत्री/पत्नी अद्वृता वासा
आयु ३५ वर्ष, जो अनीरुद्ध भुज
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं १८
(ii) पुलिस थाना (थाने) १८ जिला (जिले) १८ राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है १८

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई १८

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे १८

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं १८

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले उकियी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं



३० अप्र० २०१०

9719714805

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं १६०

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है १६०

(iii) पुलिस थाना (थाने) १६० जिला (जिले) राज्य १६०

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है १६०

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे १६०

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं १६०



सत्यापन

Padam Singh
Civil Court, Roorkee
Reg. No. 3384/99
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
१६० जुलाई

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्प्रवाह बात छिपायी नहीं गयी है।

१६० राजन पर आज तारीख ११-०१-२०१२ को सत्यापित किया।
१६० जुलाई
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

VERIFIED & ATTESTED

Puneet Kumar Singh
Advocate & Notary
Roorkee Distt. Haridwar

११-०१-२०१२

Padam Singh
Civil Court, Roorkee
Reg. No. 3384/99

Identified By

S.N. 200

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 619645

कोशलाधिकारी (नड़की)
कोइ चरका - 5500

28 DEC 2011

जिला हाइट्रोर (उत्तराखण्ड)
2010 - 2011

महान् पुरुषो द्वां अवृद्धं लाला श्रीमति
मुमैर बर्मु डॉ प्रियंग काल्पन डॉ निः
११३६।।



मौलिक संरक्षण